रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 396] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 1977/अग्रहायण 22, 1899

No. 396] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 1977/AGRAHAYANA 22, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December 1977

OIL INDUSTRY (DEVELOPMENT) AMENDMENT RULES, 1977

G.S.R 742(E).—In exercise of the powers conferred by Section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Oil Industry (Development) Rules, 1975, namely —

1. These rules may be called the Oil Industry (Development) Amendment Rules, 1977.

2. In rule 19 of the Oil Industry (Development) Rules, 1975 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (3), the words ", or take such other action in respect of the matter as may, in the opinion of the Central Government, be just or expedient, having regard to all the circumstances of the case" shall be omitted,

3. In sub-rule (3) of rule 20 of the said rules, for the words "journey performed by an official", the words "journey performed by a member who is an official" shall be substituted.

4 In rule 28 of the said rules,—

(a) in sub-rule (4), for the words beginning with "The Chairman shall have power" and ending with "to sanction expenditure", the following words shall be substituted, namely:—

"The Chairman shall have power to sanction expenditure";

(b) for sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(9) Where the Chairman takes such a decision, he shall submit the same for ratification by the Board or the Committee, as the case may be, at its next sitting.

Provided that if the Board or the Committee modifies or annuls the decision taken by the Chairman, such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any action taken previously as a result of that decision"

[No F IS-12011/11/74-ONG.II/III]

S L. KHOSLA, Jt. Secy

and Financial Adviser to the Govt. of India.

पेट्रोलियम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1977

तेल उद्योग (विकास) संशोधन नियम, 1977

सा० का० नि० 712(अ) —केन्द्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, तेल उद्योग (विकास) नियम, 1975 में सशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम तेल उद्योग (विकास) सशोधन नियम, 1977 है ।

2 तेल उद्योग (विकास) नियम, 1975 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 19 मे उपनियम (3) मे से "या मामले की बाबत ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकेगी जो केन्द्रीय सरकार की राय मे मामले की समस्त परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए न्यायोचित या समीचीन हो ।" शब्दो का लोप किया जाएगा ।

3 उक्त नियम के नियम 20 के उपनियम (3) में, "किसी अधिकारी द्वारा की गई यात्रा" शब्दो के स्थान पर "किसी ऐसे सदस्य द्वारा की गई यात्रा जो पदधारी हो" शब्द रखे जायेंगे ।

4. उक्त नियमो के नियम 28 मे,—

(क) उप नियम (1) के खण्ड (II) मे "आकस्मिकता" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) उप नियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्.—

"(9) जहा अध्यक्ष ऐसा विनिश्चय करता है, वहां वह उसको पुष्टि के लिए उसे यथास्थिति, बोर्ड या समिति के समक्ष उसकी आगामी बैठक मे प्रस्तुत करेगा ।

परन्तु यदि बोर्ड या समिति अध्यक्ष द्वारा किए गए विनिश्चय को उपान्तरित या विखण्डित कर देती है तो ऐसे उपान्तरण या विखण्डन का इस विनिश्चय के परिणाम-स्वरूप की गई किसी पूर्वक कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

[सं० फा० आई–एस–12011/11/74–ओ एन जी II/III]

एस० एल० खोसला,

संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1977